छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचम सत्र अंक-4

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2015

(श्रावण 1, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 41 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव, कृषि मंत्री से संबंद्ध ने कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान वृक्षों को काटे जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(1) डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने महासमुंद जिले में फोरलेन निर्माण हेतु अधिगृहित शासकीय भूमि को निजी भूमि बताया जाकर मुआवजा वितरण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने पंचायतों में अटल बाजार अब शुरू नहीं किये जाने,
2. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य ने प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं का अभाव होना ,
3. श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने जिला पंचायतों द्वारा योजना से संबंधित फाईल अपलोडिंग का कार्य प्रारंभ न किये जाने,
4. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में लाखों परिवार अपने वनाधिकारों से वंचित होने संबंधी **शून्यकाल की सूचना पढ़ी।**

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 03)	श्री टी.एस.सिंहदेव	1 घंटा 30 मिनट
2. (क्रमांक - 06)	श्री देवजी भाई पटेल	30 मिनट
3. (क्रमांक - 09)	श्री लखेश्वर बघेल	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री भैयाराम सिन्हा

(2) श्री मोहन मरकाम

(3) श्री जनक राम वर्मा

9. समितियों का निर्वाचन

प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक-स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक-स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 को सायं 5.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 को सायं 5.30 बजे से प्रमुख सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 को अपराह्न 1.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यार्थी के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

10. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (2) तद्अनुरूप नियम 7 के उप नियम (2) के अंतर्गत माननीय श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य के लिये पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से तीन एवं माननीय श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य के लिये पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के अनुसार जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गये हों, वे एक-एक करके उसी कम में रखे जाएंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चत किये जाएंगे, यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है ।

मेरे समक्ष माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को उपाध्यक्ष चुनने के लिये तीन प्रस्ताव, क्रमांक-एक दो और तीन तथा माननीय सदस्य श्री चिंतामणी महाराज को उपाध्यक्ष चुनने के लिये पांच प्रस्ताव क्रमांक चार, पांच, छः, सात और आठ प्राप्त हुए हैं । चूंकि प्रथम तीन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान को उपाध्यक्ष चुनने के लिये प्राप्त हुए हैं अत: मैं सर्वप्रथम तीनों प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावकों एवं समर्थकों के नाम पुकारूंगा और जो भी प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे और समर्थक द्वारा उसका समर्थन किया जाएगा उनको स्वीकृति के लिये सदन का मत लूंगा ।

माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए । इस हेतु क्रमांक एक से तीन तक निम्नानुसार तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चूंकि तीनों प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य को उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के लिये हैं अत: मैं तीनों प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों एवं समर्थकों के नाम पुकारूंगा और तीनों प्रस्ताव पर एक साथ मत लूंगा

माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान को उपाध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि "श्री बद्रीधर दीवान, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
   श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
2. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "श्री बद्रीधर दीवान, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
   श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

3. श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "श्री बद्रीधर दीवान, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर मत लिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने मत विभाजन की मांग की।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 49 तथा विपक्ष में 36 मत पड़े।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य के छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की।

11. नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री बद्रीधर दीवान को उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर सदन की ओर से बधाई दी।

डॉ. रमन सिंह-मुख्यमंत्री एवं श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ने भी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी।

उपाध्यक्ष महोदय श्री बद्रीधर दीवान ने आभार प्रकट किया।

9. वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 64, 67, 68, 71, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार तीन सौ चालीस करोड़, अस्सी लाख, अठहत्तर हजार, एक सौ तीस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री अवधेश सिंह चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, मोहन मरकाम, अरूण वोरा, श्याम बिहारी जायसवाल, दलेश्वर साहू

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू, सर्वश्री दिलीप लहरिया, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री राजेन्द्र कुमार राय, डॉ. सनम जांगड़े, श्री अमरजीत भगत, श्रीमती चंपादेवी पावले, डॉ. विमल चोपड़ा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक बैज, नवीन मारकण्डेय,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री गिरवर जंघेल, अशोक साहू, पारसनाथ राजवाड़े,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 9 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक-25 सन् 2015)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक-25 सन् 2015) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक-25 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 6.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 (श्रावण, 2 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा